रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112023-250102
CG-DL-E-17112023-250102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945
No. 662]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2023

संख्या 11/2023 - सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 845(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "घरेलू उपकरणों के लिए 1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल वाले टफन्ड ग्लास", जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 70 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/10/2022-डीजीटीआर, दिनांक 28 अगस्त, 2023, जिसे 28 अगस्त, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है;

(ii) विषयगत देशों से होने वाले आयातों में समुची क्षति जांच अवधि के दौरान निरपेक्ष एवं सापेक्षिक संदर्भों में वृद्धि हुई है; और

(iii) इस प्रकार घरेलू उद्योग की सारवान क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति किसी अन्य ज्ञात कारक के कारण नहीं है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अत:, अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और उक्त तालिका के कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथाः-

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	70071900, 70072900, 70134900, 70139900, 70199000, 70200019, 70200029, 70200090	घरेलू उपकरणों के लिए टफन्ड ग्लास*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	फ़ोशान शुंडे देहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर
2	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	झोंगशान हुआंगपु जिनफुलई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री	शून्य	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर
3	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड	144.3	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर

4	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	फ़ोशान शुंडे गौहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर
5	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	झांगजीयागांग वेइयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड	41.8	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर
6	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूझोऊ) कं, लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर
7	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य	जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड	135.3	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर
8	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास उत्पाद कं, लिमिटेड	135.3	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर
9	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	जिआंगसु शियुकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर
10	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	जियानगिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर
11	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	झोंगशान मेयी एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर
12	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रमांक (1) से (11) में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	243	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर
13	तदैव	तदैव	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	243	मीट्रिक टन	यू एस डॉलर

* "घरेलू उपकरणों के लिए टफन्ड ग्लास जिनकी मोटाई 1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच है और क्षेत्रफल 0.4 वर्ग मीटर या उससे कम है" को छोड़कर:

क. बर्तनों के कांच के ढक्कनों में टफन्ड ग्लास का उपयोग किया जाता है

ख. इलेक्ट्रॉनिक स्विच और स्विच बोर्ड पैनलों में उपयोग किया जाने वाला टफन्ड ग्लास

ग. वाशिंग मशीन के लिए घुमावदार रंगीन कांच

घ. डबल ग्लेज्ड यूनिट (डीजीयू) में इस्तेमाल किया जाने वाला टफन्ड ग्लास

ङ. गुम्बद के आकार का टफन्ड ग्लास

च. ग्रुव्ड टफन्ड ग्लास

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, **1962 (1962** का **52)** की धारा **14** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा **46** के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. 190354/206/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2023

No. 11/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 845(E).—Whereas, in the matter of "Toughened Glass for Home Appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under chapter 70 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No. 06/10/2022-DGTR, dated the 28th August, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th August, 2023, has come to the conclusion, inter *alia*, that-

i. the product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping;

ii. the imports from the subject country have increased in absolute as well as relative terms throughout the injury investigation period;

iii. the domestic industry has accordingly suffered material injury. The injury caused to the domestic industry is not on account of any other known factor,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), which are imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :–

Sl. No.	Tariff Item	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount of duty	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	70071900, 70072900, 70134900,	Toughened glass for home	China PR	Any country including China PR	Foshan Shunde Dehong Glass Industry Co., Ltd	NIL	MT	USD

	70139900, 70199000, 70200019, 70200029, 70200090	appliances*						
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhongshan Huangpu Jinfulai Glass Craft Factory	NIL	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Chuzhou Xinjiang Glass Appliances Co. Ltd.	144.3	MT	USD
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Foshan Shunde Gaohua Glass Technology Co., Ltd.	NIL	MT	USD
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhangjiagang Weiyu Glassware Co., Ltd.	41.8	MT	USD
6	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	SCHOTT Glass Technologies (Suzhou) Co., Ltd.	NIL	MT	USD
7	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Benxi Chengxin Chengxin Electrical Co., Ltd.	135.3	MT	USD
8	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Lianyungang Chengxin Glass Products Co., Ltd	135.3	MT	USD
9	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd	NIL	MT	USD
10	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangyin Suifeng Glass Co., Ltd	NIL	MT	USD
11	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhongshan Meiyi Appliance Co. Ltd	NIL	MT	USD
12	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other producer excluding producers mentioned in Sl. No. (1) to (11) above.	243	MT	USD
13	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	243	MT	USD

** "Toughened glass for home appliances having thickness between 1.8 MM to 8 MM and area of 0.4 SqM or less" excluding:*

a) Toughened glass used in glass lids of utensils
b) Toughened glass used in electronic switch and switch board panels
c) Curved coloured glass for washing machines
d) Toughened glass used in Double Glazed Unit (DGU)
e) Dome shaped toughened glass
f) Grooved Toughened glass

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.-For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 190354/206/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.17 20:51:18 +05'30'